

**बिहार सरकार**  
**स्वास्थ्य विभाग**  
**आदेश**

सं० सं०-17/विविध-01-101/2026

पटना, दिनांक :- / / 2026

राज्य के चिकित्सा संस्थानों में बंध-पत्र से आच्छादित निम्नांकित पदस्थापित चिकित्सकों को सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर पदों पर नियुक्ति के निमित्त बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, पटना के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में काउंसलिंग/साक्षात्कार में भाग लेने हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है :-

Sl. No.	Name	D.O.B.	Subject	Persent Posting Place
1	AMRIT GUPTA	Mar 1 1995	MD(ANAESTHESIOLOGY)	SDH, MAJHAUL, BEGUSARAI
2	ANAMIKA	Jan 10 1990	MD(OBSTETRICS & GYNAECOLOGY)	SH. MADHUBANI
3	ANKIT KUMAR	24-01-1989	MD(PHYSICAL MEDICINE REHABILITATION)	CHC. ALAULI, KHAGARIA
4	ISHIKA	26-08-1990	MD(OBSTETRICS & GYNAECOLOGY)	PHC. SIKARIA, JEHANABAD
5	KUNAL KISHORE GUPTA	Jul 21 1986	MD(ANAESTHESIOLOGY)	SDH. DALSINGHSARAI, SAMASTIPUR
6	MOHAMMED RAFIULLAH	Dec 4 1987	MD(BIOCHEMISTRY)	SDH. PAKRIDAYAL, EAST HAMPARAN
7	PRERNA PRIYA	26-03-1996	MS(OBSTETRICS & GYNAECOLOGY)	APHC, SUNDARI MATH, KURSAKANTA, ARARIA
8	RASHMI KUMARI	Oct 9 1985	MD(PATHOLOGY)	SDH, CHAKIA, EAST CHAMPARAN
9	SANTOSH KUMAR	15-03-1987	MD(ANAESTHESIOLOGY)	PHC. KOTWA, EAST CHAMPARAN

2. उपर्युक्त चिकित्सक जिस चिकित्सा महाविद्यालय से पी0जी0/डिप्लोमा उत्तीर्ण किये हैं, उस चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत Bonafide Certificate एवं उनके सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों आदि की अभिप्रमाणित छायाप्रति बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, पटना में सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर पद के काउंसलिंग में मान्य होगा।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

618(17)  
*Santosh Kumar*

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं० सं०-17/विविध-01-101/2026

पटना, दिनांक :- 01/06/2026

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार तथा सभी संबंधित चिकित्सा संस्थान के निदेशक/अधीक्षक/उपाधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित है कि चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य बन्ध-पत्र से आच्छादित चिकित्सकों को किसी भी परिस्थिति में उक्त काउंसलिंग/साक्षात्कार हेतु उनके मूल प्रमाण पत्र उन्हें नहीं देंगे।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित बंध-पत्र से आच्छादित चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07

- प्रतिलिपि:— विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 03 एव 09 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— आई0 टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

618/171  
01.06.26

  
विशेष कार्य पदाधिकारी।